L. A. BILL No. XVIII OF 2021.

A BILL

TO AMEND THE FARMER'S PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ACT, 2020, IN IT'S APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १८ सन् २०२१ ।

महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, २०२० में संशोधन करने संबंधी विधेयक ।

सन् २०२० का २१ । **क्योंकि,** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, २०२० में संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

(शा.म.मु.) एचबी ५४७—१ (५५—७-२०२१)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभण ।

१. (१) यह अधिनियम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाये ।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा ।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

सन् २०२० का अधिनियम क्र. २१ की धारा १ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, २०२० (जिसे इसमें आगे, '' मूल अधिनियम '' कहा गया है) की धारा १ की, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०२० का २१ ।

''(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें । '' ।

सन् २०२० का अधिनियम क्र. २१ की धारा २ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा २ के,—

(१) खण्ड (क) के पूर्व, निम्न खण्ड, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'' (१क) ''अपीलीय प्राधिकारी'' का तात्पर्य, धारा ८ की उप-धारा (४) के अधीन नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी से है ; '';

'' (२क) ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य, धारा ४ की उप-धारा (१क) में विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से है ; '';

(२) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

''(च-१) ''महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन समिति'' का तात्पर्य, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन समिति (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ से है ; ''; सन् १९६४ का महा. २० ।

(३) खण्ड (झ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

''(झ) विहित का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये नियमों द्वारा विहित से है ; '' ।

सन् २०२० का अधिनियम क्र. २१ की धारा ४ में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

''(१) कोई व्यापारी, व्यापार क्षेत्र में कृषक या अन्य व्यापार के साथ अनुसूचित कृषक उपज के अन्तरराज्य व्यापार या अन्तरराज्यिक व्यापार में जुड़ा होगा :

(१क) अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यापारी किसी, अनुसूचित कृषक उपज का व्यापार तब तक नहीं करेगा जबतक सक्षम प्राधिकारी का वैध लाईसेन्स न हो, जैसा कि वह विहित किया जा सकें :

परंतु, उक्त अधिनियम की धारा ५घ में यथा उपबंधित को छोडकर, महाराष्ट्र कृषि विपणन समिति अधिनियम की, धारा ५ के अधीन स्थापित बाजार के बाहरी किसी व्यक्ति द्वारा महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम की अनुसूची के मद सात-फलों, आठ-सब्जियों और मद दस- मसालों की प्रविष्टियाँ (२), (३), (४) और (५), मसालों और अन्य की सभी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट कृषक उपज के विपणन के लिए किसी लाईसेन्स या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, और इस धारा के अधीन विनियमित नहीं किया जायेगा ।

(१ख) उप-धारा (१क) के अधीन आवेदन करने और लाईसेन्स देने की रीति जैसा कि विहित की जाए, ऐसी होगी ।'' ।

५. मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् २०२० का अधिनियम क्र. २१ की धारा ८ का प्रतिस्थापन ।

विवाद समाधान यंत्रणा ।

"**८.** (१) धारा ४ के अधीन कृषक या व्यापारी के बीच लेन-देन से उद्भूत किसी विवाद के मामले में पक्षकार, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन दायर करके समाधान चाह सकेगा ।

(२) सक्षम प्राधिकारी अपने स्व-प्रेरणा से या कृषक से किसी आवेदन पर या किसी सरकारी अभिकरण से निर्देश पर, धारा ४ के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा और उप-धारा (३) के अधीन कार्यवाही करेगा ।

(३) सक्षम प्राधिकारी, इस धारा के अधीन विवाद या उल्लंघन का निर्णय उसके दायर करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर संक्षिप्त रीत्या करेगा और पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् वह,—

(क) विवाद के अधीन रक़म की वसूली के लिये आदेश पारित करेगा ; या

(ख) धारा ११ की, उप-धारा (१) में यथा अनुबद्ध शास्ति अधिरोपित करेगा ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापार और वाणिज्य उपक्रमित करने से विवाद में जैसा कि वह उचित समझे, ऐसी अवधि के लिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारी को रोकने के लिए आदेश पारित करेगा ।

(४) सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई पक्षकार, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिनों के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा जो ऐसी अपील प्रस्तुत करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।

(५) इस धारा के अधिन अपीलीय प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश डिक्री का बल होगा और इसपर प्रवर्तनीय होगा, और डिक्रीत रक़म भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जायेगी ।

(६) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसा की विहित किया जा सके ।" ।

६. मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २०२० का अधिनियम क्र. २१ की नवीन धारा १६क का निवेशन ।

"**१६क.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यापारी, कृषक को तंग करता है तो ऐसा व्यापारी कृषक को उत्पीड़ना के अपराध का दोषी होगा और वह तीन वर्षों से कम न हो ऐसी अवधि के कारावास से या पाँच लाख रुपयों से कम न हो, ऐसे जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा । कृषक को उत्पीड़न करने के लिये शास्ति ।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए, जहाँ व्यापारी करार के निबन्धन के अनुसार कृषक को अदायगी नहीं करता है या मालों की सुपुर्दगी की प्राप्ति के दिनांक से सात दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, भुगतान नहीं करता है तो उत्पीड़न का अपराध हुआ माना जायेगा ।

७. मूल अधिनियम की धारा १८ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २०२० का अधिनियम क्र. २१ में नवीन धारा १८क का निवेशन ।

"**१८क.** (१) राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए और **राजपत्र** में ऐसा निर्णय अधिसूचित होता है तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।'' ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

८. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** मे प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।'' ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

संसद ने, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, २०२० (सन् २०२० का केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक २१) (जिसे इसमें आगे, ''केन्द्रीय अधिनियम'' कहा गया है) में ऐसी पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहाँ, जहाँ कृषकों और व्यापारियों, ऐसी कृषक उपज के विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम सें लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिये ; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधि विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अन्तरराज्य और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए ; इलेक्ट्रानिक व्यापार के लिये सुसाध्य ढाँचे का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया है ।

२. केन्द्रीय अधिनियम में व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिये यह शर्त है की, व्यापारी के पास स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन) हों । व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिये लाईसेन्स का कोई उपबंध नहीं है । कृषक को कृषि उत्पाद की रक़म की अदायगी में त्रुटी के मामले में, व्यापारी पर कोई नियंत्रण नहीं होगा । धारा ८ कृषकों के लिये विवाद समाधान तंत्र का उपबंध करती है । उक्त धारा में किसान और व्यापारी के बीच विवाद को सुलझाने के लिये उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट सक्षम प्राधिकारी है और कलक्टर अपीलीय प्राधिकारी है । जैसा कि उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट और कलक्टर राजस्व प्राधिकारियों पर कार्यभार को देखते हुए, किसानों और व्यापारियों के बीच विवादों को अनुबद्ध समय के भीतर, हल करने के लिये पर्याप्त समय देना उनके लिये संभव नहीं हो सकेगा ।

३. यह सुनिश्चित करने के लिये कि, कृषक को उसकी कृषि उपज का मूल्य समय पर मिलें और कृषकों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिये, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में, महाराष्ट्र सरकार कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, २०२० में संशोधन करना इष्टकर समझती है, प्रस्तुत विधेयक में निम्न संशोधन प्रस्तावित है,—

(क) धारा ४ की, उप-धारा (१क) यह प्रस्तावित करती है कि, कोई व्यापारी किसी अनुसूचित कृषक उपज का व्यापार तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यापारी के पास सक्षम प्राधिकारी का वैध लाईसेन्स नहीं है ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा ५घ में यथा उपबंधित को छोडकर, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन समिति की धारा ५ के अधीन स्थापित बाजार के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन समिति की अनुसूची के मद सात-फलों, आठ-सब्जियों की सभी प्रविष्टियों और मद दस-मसालों की प्रविष्टियाँ (२), (३), (४) और (५), मसालों और अन्यों में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन के लिये लाईसेन्स या अनुमति की आवश्यकता नहीं है ;

(ग) धारा ४ के अधीन कृषक और व्यापार के बीच लेन-देन से उद्भूत किसी विवाद के मामले में, पक्षकार, सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके हल चाह सकती है और को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील, अपीलीय प्राधिकारी को कर सकती हैं ;

(घ) किसान को उत्पीड़न करने के लिये, तीन वर्षो से कम न हो ऐसे कारावास से और पाँच लाख रुपयों से कम न हो, ऐसे जुर्माने, या दोनों से दण्डित करने के लिये भी उपबंध किया गया है।

(ङ) नियमों को बनाने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने के लिए उपबंध करना है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ६ जुलाई २०२१ ।

बाळासाहेब पाटील,
विपणन मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड १ (३).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जैसे राज्य सरकार नियत करे, ऐसे दिनांक पर अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तन में लाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड २.— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, जैसे राज्य सरकार नियत कर सके, ऐसे दिनांक पर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, २०२० के उपबंधों को प्रवर्तन में लाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ४.— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (१) की प्रतिस्थापना करना है,—

(क) उप-धारा (१क) में, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(ख) उप-धारा (१-ख) में, राज्य सरकार को, उप-धारा (१क) के अधीन आवेदन करने और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने की रीति विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ५.— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय मूल अधिनियम की धारा ८ की प्रतिस्थापना करना है,—

(क) उप-धारा (४) में, राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

(ख) उप-धारा (६) में, राज्य सरकार को, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन दाखिल करने और अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की रीति और प्रक्रिया विहित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ७.— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय मूल अधिनियम में धारा १८क निविष्ट करना है, जिसमें उप-धारा (१) में, राज्य सरकार को, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड ८(१).— इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, कोई कठिनाई, जो अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत होती है, उसका निराकरण करने के लिए **राजपत्र** में कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

(यथार्थ अनुवाद),
श्रीमती विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ६ जुलाई २०२१ ।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई